ए.

मोहिंदर सिंह

वी.

पंजाब राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 2182)

बी.

14 अगस्त, 2018

[रंजन गोगोई**,** आर**.** भानुमती और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985:एस. 50-अभियोजन का मामला यह था कि अपीलार्थी एक थैले में प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा था-डी. एस. पी. की उपस्थिति में थैले की तलाशी लेने पर, थैले में मौजूद पदार्थ 7.4 किलोग्राम अफीम पाया गया-20 ग्राम के दो नमूने लिए गए और सील कर दिए गए-मलखाना में जमा किए गए दो नमूनों के साथ मामला संपत्ति और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया-नमूने एफ. एस. एल. को भेजे गए और अफीम पाए गए-धाराओं का पालन न करने के लिए निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया।50 अधिनियम की धारा और इस आधार पर कि मजिस्ट्रेट के आदेश से यह नहीं पता चलता है कि एफ. एस. एल. को भेजे गए नमूने की मुहर प्रतिबंधित पदार्थ की मुहर से मेल खाती है और इस प्रकार मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की संपत्ति को इस तरह पेश करने के संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था-अपील पर, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक थैले/अटैची से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी जो आरोपी अपने हाथों में ले जा रहा था, व्यक्ति की तलाशी के बराबर नहीं होगी और इस प्रकार एस।50 यह लागू नहीं होगा और आगे, नमूनों और सीलबंद नमूनों के मामले की संपत्ति पार्सल को मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पेश किया गया था-उक्त निष्कर्ष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने बरी करने और दोषी ठहराए गए अपीलार्थी यू/एस के आदेश को उलट दिया।18 और उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःमालखाना के पास अभियुक्त से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के जमा होने के बारे में पीडब्लू-3 और पीडब्लू-5 के मौखिक साक्ष्य की दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है-मजिस्ट्रेट के आदेश के अभाव में यह दिखाया गया है कि आरोपी से जब्त किए गए प्रतिबंधित

पदार्थ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, मौखिक साक्ष्य में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रतिबंधित पदार्थ पेश किया गया था जो दोषसिद्धि दर्ज करने का आधार नहीं बन सकता है-बरी होने के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि बरी होने के आदेश को उलटने के लिए पर्याप्त और सम्मोहक कारण न हों-हाथ में मामले को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत के निष्कर्षों को 'विकृत निष्कर्ष' हस्तक्षेप की गारंटी नहीं कहा जा सकता है-आधारित

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

910

911

मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए

पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के मौखिक साक्ष्य पर, उच्च न्यायालय को धाराओं के तहत अपीलार्थी को बरी करने और दोषसिद्धि ठहराए जाने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।18 अधिनियम टिकाऊ नहीं था।

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985:एस. 50-व्यक्तिगत खोज-स्कूटर/थैले में वर्जित पदार्थ को ले जाने को 'व्यक्ति द्वारा' नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए एस के अनुपालन की आवश्यकता होती है।50 व्यक्तिगत खोज के लिए अधिनियम।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-3** के मौखिक साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद**,** निचली अदालत ने अपने फैसले में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रतिबंधित पदार्थ को पेश करने का मजिस्ट्रेट का कोई आदेश फाइल पर उपलब्ध नहीं था।इस तरह के अवलोकन को दर्ज करने के बाद**,** निचली अदालत ने माना कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की संपत्ति को पेश करने के संबंध में मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था और स्वीकार्य नहीं था। एन**.** डी**.** पी**.** एस**.** अधिनियम के तहत अपराध साबित करने के लिए**,** अभियुक्त के कब्जे से

कथित रूप से जब्त किए गए वर्जित माल की मात्रा स्थापित करना या अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक है और सबसे अच्छा सबूत मजिस्ट्रेट के समक्ष वर्जित पदार्थ को पेश करने और मलखाना के समक्ष जमा करने या वर्जित पदार्थ के विनाश को दर्शाने वाले दस्तावेज के रूप में अदालत के रिकॉर्ड होंगे।**[**पारस **11-12] [915-E-F, G-H]**

सी.

डी.

ई.

एच**.** पी**.** बनाम राज्यपवन कुमार **(2005) 4** एससीसी **350:[2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 417;** विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(2013) 14 एससीसी **527:[2013] 4** एस**.** सी**.** आर**. 293-**निर्भर।**2.** बरी किए जाने के खिलाफ अपील में**,** उच्च न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि बरी किए जाने के आदेश को उलटने के लिए पर्याप्त और बाध्यकारी कारण न हों।हाथ में मामले को ध्यान में रखते हुए**,** निचली अदालत के निष्कर्षों को हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले 'विकृत निष्कर्ष' नहीं कहा जा सकता है।पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-3** के मौखिक साक्ष्य के आधार पर**,** उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और एनडीपीएस अधिनियम की धारा **18** के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।**[**पारस **15,16] [916-**एच**; 917-**ए**; 918-**सी**-**डी**]**

एफ.

जी.

चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य **(2007)**

4 एससीसी 415:[2007] 2 एस. सी. आर. 630; जुगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 297:[2012] 6

एच.

एस**.** सी**.** आर**. 193;** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सजीवन और

अन्य (2010) 1 एस. सी. सी. 529:[2009] 16 एससीआर 154;

भास्कर रामप्पा मदार और अन्य बनाम राज्य

कर्नाटक (2009) 11 एससीसी 690:[2009] 5 एससीआर 256;

चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य **(2007) 4**

एससीसी **415:[2007] 2** एस**.** सी**.** आर**. 630-**पर निर्भर था।मामला कानून संदर्भ

बी.

[2005] 3 एससीआर **417**

उस पर भरोसा करें

पैरा **5**

[2013] 4 एससीआर **293**

उस पर भरोसा करें

पैरा **9**

[2012] 6 एससीआर **193**

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

सी.

[2007] 2 एससीआर **630**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[2009] 16 एससीआर **154**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[2009] 5 एससीआर **256**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[2007] 2 एससीआर **630**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2010 की आपराधिक अपील संख्या 2182

2002 की आपराधिक अपील संख्या 199-डी. बी. ए. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 30.06.2010 के निर्णय और आदेश से।

ई.

हरकेश सिंह, आर. के. तलवार, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री रंजीता रोहतगी, कुलदिप सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

आर. भानुमति, जे. 1.यह अपील 2002 में आपराधिक अपील में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को बरी करने के फैसले को उलट दिया और उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन. डी. पी. एस. अधिनियम) की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया और उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई।

जी.

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि 30.04.1998 पर, जोगिंदर सिंह, एस. आई., पुलिस स्टेशन सदर लुधियाना (पीडब्लू-2) अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गिल ए के पुल पर वाहनों की जांच कर रहे थे।

एच.

913

मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

गाँव गिल के किनारे की ओर नहर।इस बीच, लगभग 7.00-7.30 बजे, अपीलार्थी मोहिंदर सिंह अपने स्कूटर No.PB-10B-2413 पर आया।स्कूटर को रोकने का संकेत दिया गया और अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपना स्कूटर रोक दिया।यह संदेह था कि थैले में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ ले जाया जा रहा था।अपीलार्थी/अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था।जोगिंदर सिंह (पीडब्लू-2) जिसे डी. एस. पी. (पीडब्लू-4) गुरमीत सिंह कहा जाता है और अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ले जाए गए थैले की उसकी उपस्थिति में तलाशी ली गई और मादक पदार्थ का थैला "अफीम" पाया गया।वजन पर, यह 7 किलो और 40 ग्राम पाया गया।बरामद "अफीम" से दो नमूने लिए

गए, प्रत्येक का वजन 20 ग्राम था और मोनोग्राम "जेएस" और "जीएस" के साथ अलग से सील कर दिया गया और रिकवरी मेमो Ext.-PE के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। केस संपत्ति के साथ दो नमूने बलदेव सिंह एमएचसी (पीडब्लू-5) के पास जमा किए गए थे।अगले दिन यानी आई. डी. 1 पर, केस प्रॉपर्टी के साथ-साथ सैंपल पार्सल को एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने केस प्रॉपर्टी और सैंपल पार्सल की शुरुआत की थी।नमूना पार्सल को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) भेजा गया और रासायनिक विश्लेषण के अधीन किया गया और एफ. एस. एल. रिपोर्ट में सामग्री "अफीम" पाई गई।अनुसंधान पूरा होने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

बी.

सी.

डी.

3. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सिपाही हरदेव सिंह (पीडब्लू-1), एस. आई. जोगिंदर सिंह (पीडब्लू-2), ए. एस. आई. हरमन सिंह (पीडब्लू-3), डी. एस. पी. गुरमीत सिंह (पीडब्लू-4) और बलदेव सिंह, एम. एच. सी. (पीडब्लू-5) से पूछताछ की है।अपीलार्थी से धारा 313 Cr.P.C के तहत पूछताछ की गई ताकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली अपराध साबित करने वाली साक्ष्य परिस्थितियों की व्याख्या की जा सके और उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया।

ई.

4. निचली अदालत ने अपीलार्थी को इस आधार पर बरी कर दिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था। निचली अदालत ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट का कोई भी आदेश यह दिखाने के लिए साबित नहीं हुआ कि मामले की संपत्ति अदालत के समक्ष पेश की गई थी, यह दिखाने के लिए सबूत में लाया गया था कि एफएसएल को भेजे गए नमूने की मुहर प्रतिबंधित पदार्थ की मुहर के साथ मिलान करती है, और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की संपत्ति को पेश करने के संबंध में सबूत विश्वसनीय थे।बरी किए जाने के फैसले से व्यथित होकर राज्य ने उच्च न्यायालय में अपील की है।

एफ.

जी.

5. पंजाब राज्य पर निर्भरता बनाम बलदेव सिंह (1998)

2 एस. सी. सी. 724, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक थैले/अटैची से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी जो अभियुक्त अपने हाथों में ले जा रहा था, राशि नहीं होगी।

व्यक्ति की तलाशी के लिए और इस तरह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी।एस. आई. जोगिंदर सिंह (पीडब्लू-2) और इरफान सिंह (पीडब्लू-3) के साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि नमूनों के मामले की संपत्ति और 'जे. एस.' और 'जी. एस.' की मुहर वाले नमूनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पेश किया गया था और उन निष्कर्षों पर, उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को उलट दिया और अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया और उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई।पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी/अभियुक्त ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

6. अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री हरकेश सिंह ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि चूंकि अभियुक्त से कथित रूप से जब्त किए गए मादक पदार्थ को निचली अदालत में पेश नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता अविद्वान अधिवक्ता पविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता लविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता थविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता लविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता एविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता खविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हविद्वान अधिवक्ता ुविद्वान अधिवक्ता आविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता वविद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता लविद्वान अधिवक्ता

सी.

अशोक उर्फ डांगरा जैसवाल बनाम मध्य राज्य पर निर्भरता रखी गई

प्रदेश (2011) 5 एस. सी. सी. 123 में यह तर्क दिया गया है कि जहां अभियुक्त के कब्जे से जब्त की गई मादक दवा या मादक पदार्थ को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है और जब ऐसे मामले में अभियुक्त के कब्जे से जब्त की गई दवा या पदार्थ के साथ फोरेंसिक विज्ञान रिपोर्ट को जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, तो अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

डी.

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि एस. आई. जोगिंदर सिंह (पीडब्लू-2) और ए. एस. आई. हरमन सिंह (पीडब्लू-3) के मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के समक्ष आरोपी से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को पेश करना साबित हो गया है।यह प्रस्तुत किया गया था कि अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूने के पैकेटों के साथ प्रतिबंधित पदार्थ के उत्पादन को पर्याप्त रूप से साबित करती है।यह प्रस्तुत किया गया था कि निचली अदालत ने आरोपी को बरी करना सही नहीं था और उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को सही ढंग से दरकिनार कर दिया और विवादित फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ई.

एफ.

8. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है और विवादित निर्णय, साक्ष्य और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया है।हमने निचली अदालत से मांगे गए मूल अभिलेखों को देखने के लिए भी मेहनत की है।

जी.

9. अपीलार्थी की ओर से, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के बारे में तर्क दिया गया था कि धारा 50 के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा था-लगभग सात ए

एच.

915

मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

थैले में किलो "अफीम" जो वह स्कूटर में ले जा रहा था।स्कूटर/थैले में प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने को 'व्यक्ति द्वारा' नहीं कहा जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत खोज के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन आवश्यक हो जाता है।इस संबंध में राज्य में निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है

एच. पी. वी.पवन कुमार (2005) 4 एससीसी 350।

10. जहाँ तक अभियुक्त से जब्त किए गए मादक पदार्थ को पेश करने के संबंध में विवाद का संबंध है, अपने साक्ष्य में, हरमन सिंह (पीडब्लू-3) ने कहा कि 01.05.1998 पर, उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट, लुधियाना के समक्ष सील और नमूना मुहरों के साथ नमूना पार्सल और मामले की संपत्ति के पार्सल पेश किए और मजिस्ट्रेट ने नमूने के निशान के साथ मिलान किए गए मुहरों को दर्ज किया है।हर्भजन सिंह (पीडब्लू-3) ने आगे कहा कि अदालत से नमूने और

पार्सल वापस करने के बाद, उन्हें उनके द्वारा 01.05.1998 पर ही मलखाने में दर्ज कराया गया था।बलदेव सिंह (पीडब्लू -5) तत्कालीन प्रभारी मलखाने ने हालांकि मौखिक रूप से मलखाने में प्रतिबंधित पदार्थ जमा करने के बारे में बताया था, लेकिन बलदेव सिंह (पीडब्लू-5) ने मलखाने में मामले की संपत्ति जमा करने के लिए रजिस्टर No.19 में प्रासंगिक प्रविष्टि दिखाने के लिए मलखाने में रखे गए रजिस्टर No.19 को पेश नहीं किया है।मालखाना के पास आरोपी से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के जमा होने के बारे में हरमनजीत सिंह (पीडब्लू-3) और बलदेव सिंह (पीडब्लू-5) के मौखिक साक्ष्य की दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् रजिस्टर No.19 में प्रविष्टि से पुष्टि नहीं होती है।

बी.

सी.

डी.

11. जोगिंदर सिंह (पीडब्लू-2) और इरफान सिंह (पीडब्लू-3) के मौखिक साक्ष्य का हवाला देने के बाद, निचली अदालत ने अपने फैसले के पैरा (14) में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रतिबंधित पदार्थ को पेश करने का मजिस्ट्रेट का कोई आदेश फाइल पर उपलब्ध नहीं था।इस तरह के अवलोकन को दर्ज करने के बाद, निचली अदालत ने माना कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की संपत्ति को पेश करने के संबंध में मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था और स्वीकार्य नहीं था।मजिस्ट्रेट के आदेश के अभाव में यह दर्शाता है कि आरोपी से जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, मौखिक साक्ष्य में कहा गया है कि प्रतिबंधित सामग्री को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जो दोषसिद्धि दर्ज करने का आधार नहीं बन सकता है।

ई.

एफ.

जी.

12. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त के कब्जे से कथित रूप से जब्त किए गए वर्जित माल की मात्रा और सबसे अच्छा सबूत मजिस्ट्रेट के समक्ष वर्जित पदार्थ को पेश करने और उसे मलखाना के समक्ष जमा करने या वर्जित पदार्थ के विनाश को दर्शाने वाले दस्तावेज के रूप में अदालत के रिकॉर्ड होंगे।

एच.

13. विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) 14 एससीसी

527, इस न्यायालय ने निचली अदालत के समक्ष अभियुक्त से जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थों को पेश करने की आवश्यकता को दोहराया ताकि यह स्थापित किया जा सके कि अभियुक्त से जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थों का मिलान एफएसएल को भेजे गए नमूनों से किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त से निषिद्ध पदार्थों की जब्ती को स्थापित करने के लिए केवल मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-

बी.

"10. दूसरी ओर**,** इस न्यायालय के फैसले को पढ़ने पर

जितेंद्र बनाम एम. पी. राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 562, हम पाते हैं कि

अदालत ने यह विचार व्यक्त किया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए मुकदमे में, अभियोजन पक्ष के लिए ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि अभियुक्त के कब्जे से निषिद्ध वस्तुओं की कथित मात्रा जब्त की गई थी और इस तथ्य को साबित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत मुकदमे के दौरान जब्त की गई सामग्री को भौतिक वस्तुओं के रूप में पेश करना है और जहां कथित रूप से जब्त की गई निषिद्ध सामग्री पेश नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा निषिद्ध सामग्री पेश करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, केवल मौखिक सबूत है कि अभियुक्त से जब्त की गई सामग्री एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, विशेष रूप से जब पंच गवाह मुकर गए हों।पुनः, अशोक बनाम एम. पी. राज्य (2011) 5 एस. सी. सी. 123 में, इस न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त के कब्जे से जब्त किए गए कथित मादक द्रव्य पाउडर को सामग्री प्रदर्शन के रूप में निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था और इसे पेश न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था और इस न्यायालय ने कहा कि इसलिए फोरेंसिक रिपोर्ट को उस पदार्थ से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था जिसे अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किया गया था।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

14. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जोगिंदर सिंह (पीडब्लू-2) और हरमन सिंह (पीडब्लू-3) के मौखिक साक्ष्य पर गौर किया है कि अभियुक्त से कथित रूप से जब्त किए गए मादक पदार्थ को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।जब निचली अदालत, जिसके पास मामले के रिकॉर्ड हैं, ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि मजिस्ट्रेट का अदालत के समक्ष प्रतिबंधित पदार्थ को पेश करने का कोई आदेश नहीं है और उस आधार पर आरोपी को बरी कर दिया

गया है, तो हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को बरी करने के उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

जी.

15. बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि आदेश ए को उलटने के लिए पर्याप्त और बाध्यकारी कारण न हों।

एच.

917

मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

दोषमुक्त करने का।केवल यह तथ्य कि साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अपीलीय न्यायालय एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इच्छुक है जो निचली अदालत से भिन्न है, वही बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप का कारण नहीं हो सकता है।चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415 में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों का सारांश दिया और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः- “42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैंः

बी.

सी.

(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

डी.

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम

करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं।

ई.

एफ.

(4) हालाँकि, एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोषता का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता।दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

जी.

एच.

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।"

समान सिद्धांतों को कई निर्णयों में दोहराया गया। जुगेंद्र

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2012) 6** एस**.** सी**.** सी**. 297,** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सजीवन और अन्य **(2010) 1** एस**.** सी**.** सी**. 529,** भास्कर रामप्पा मदार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य **(2009) 11** एस**.** सी**.** सी**. 690,** चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य **(2007) 4** एस**.** सी**.** सी**.**

बी.

415 और अन्य निर्णय।16. हाथ में मामले को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत के निष्कर्षों को हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले 'विकृत निष्कर्ष' नहीं कहा जा सकता है।जोगिंदर सिंह (पीडब्लू-2) और इरफान सिंह (पीडब्लू-3) के मौखिक साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

सी.

17. परिणामस्वरूप, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर लगाए गए कारावास की सजा को दरकिनार कर दिया जाता है और इस अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थी को आरोप से बरी कर दिया जाता है।

डी.

देविका गुजराल की अपील को मंजूरी दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.